न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/58/2018	14–06–2018	03–01–2019

1–मु0 रामबाई बेवा स्व0 शमशेर
2–लालचन्द पुत्र स्व0 शमशेर
3–भोलाराम पुत्र स्व0 शमशेर जाति जाट निवासी ग्राम ढाकपुरी तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर राज0।

–अपीलान्ट्स

बनाम

1–नायब तहसीलदार मालाखेड़ा तहसील बहरोड़ जिला अलवर।

–रेस्पाडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश नायब तहसीलदार मालाखेड़ा का निर्णय दिनांक 26.08.1998 नामान्तकरण संख्या 80 ग्राम ढाकपुरी तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर।

उपस्थितः–
01. श्री एम0पी0 राजोरिया

–वकील अपीलान्ट

––:: निर्णय ::––

अपीलान्ट ने यह अपील नायब तहसीलदार मालाखेड़ा के आदेश दिनांक 26.08.1998 जिसके द्वारा नामान्तकरण संख्या 80 ग्राम ढाकपुरी तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर बेजा तौर पर स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि सर्वप्रथम जानकारी अपीलांट को दिनांक 17.05.2018 को हुई कि उपखण्ड अधिकारी अलवर द्वारा अपीलांट का धारा 136 का प्रा0पत्र खारिज कर दिया। ग्राम ढाकपुरी तह0 मालाखेडा में श्री शमशेर पुत्र रत्ती कोम जाट आराजी खसरा नम्बर 246/2058 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 22/42 एयर, 23/21 एयर के 1/3 भाग का खातेदार काश्तकार था जो अपीलांट संख्या 1 का पति व अपीलांट संख्या 2 व 3 का पिता था। एक पुत्र रूपसिंह था जो लाऔलाद अविवाहित फौत हो गई। जिसका इंतकाल अपीलांट संख्या 1 के नाम दर्ज हो गया। इंतकाल संख्या 80 जो ढाकपुरी में आयोजित शिविर दिनांक 26.08.1998 को दर्ज किया गया है। उसमें मृतक शमशेर के वारिस मु0 रामबाई बेवा, लालचन्द, रूपसिंह, भोलाराम दर्ज किया है मगर सहवन से लालचन्द, रूपसिंह, भोलाराम के नाम के आगे पिता का नाम शमशेर दर्ज नहीं किया। जबकि इंतकाल दर्ज करते समय लालचन्द, रूपसिंह, भोलाराम पुत्रान् शमशेर किया जाना था। इंतकाल के खाना संख्या 9 में मु0 रामबाई बेवा शमशेर दर्ज कर दिया गया मगर अपीलांट संख्या 2 व 3 के पिता का नाम दर्ज नहीं किया गया। इस संबंध में अपीलांटान् ने एक प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर के यहां दिनांक 04.12.2017 को पेश किया जिसे दिनांक 07.12.2017 को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उक्त इंतकाल के विरूद्ध सक्षत न्यायालय में अपील करे। तहसीलदार मालाखेडा द्वारा रिपोर्ट मांगी गई, जिस रिपोर्ट पर पटवारी द्वारा दिनांक 02.08.2016 को रिपोर्ट की गई कि लालचन्द, रूपसिंह, भोलाराम के पिता का नाम शमशेर दर्ज होने से रह गया है जो शुद्ध होना उचित है। नायब तहसीलदार मालाखेडा द्वारा इंतकाल दर्ज करते समय नियमों का सही प्रकार से पालन नहीं किया गया। अपीलांट को जानकारी दिनांक 17.05.2018 से अपील पेश करने की दिनांक तक हुई देरी के लिए प्रा0पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम अलग से

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्र.
अलवर (राज0)

पेश किया जा रहा है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर इंतकाल संख्या 80 दिनांक 24.08.1998 में लालचन्द, रूपसिंह, भोलाराम पुत्रान् स्व0 शमशेर दर्ज करने के आदेश फरमाये जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम दफा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया। अपीलान्ट ने यह अपील आदेश दिनांक 26.08.1998 के विरूद्ध दिनांक 12.06.2018 को इस न्यायालय में पेश की है, जो करीब 20 वर्ष विलम्ब से पेश की गई है। विलम्ब की अवधि असाधारण नही है फिर भी प्रार्थना पत्र दफा–5 में वर्णित तथ्यों पर विश्वास करते हुए तथा नरमी का रूख अपनाते हुये विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। जहां तक गुणावागुण का प्रश्न है हस्तगत प्रकरण में अवलोकन से पाया जाता है कि नायब तहसीलदार मालाखेडा द्वारा इंतकाल दर्ज व स्वीकृत करते समय अपीलांटान् के पिता का नाम दर्ज नहीं किया गया है जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज किया जाना चाहिए था।

अतः अपील अपीलांट नायब तहसीलदार मालाखेडा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलांटान् के समस्त दस्तावेजों का निरीक्षण कर पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 03–01–2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0) ALWAR (RAJ.)

(ओ0पी0जैन)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)